

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10122022-240979 CG-DL-E-10122022-240979

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5531] No. 5531] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 9, 2022/अग्रहायण 18, 1944 NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 9, 2022/AGRAHAYANA 18, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली. 7 दिसम्बर. 2022

का.आ. 5767(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया हैं) की धारा 3 उप धारा (1) के अधीन जारी की गई, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र का.आ. 3054 (अ) दिनांक 02 सितम्बर 2020 राजपत्र संख्या 2717 दिनांक 09 सितम्बर 2020 भाग II खण्ड 3 उपखण्ड (II) में किया गया हैं। इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट मध्य प्रदे"। राज्य की तहसील — कुरवाई जिला—विदिशा, की भूमि में मध्य प्रदेश राज्य में कांडला (गुजरात) से गोरखपुर (यूपी) तक एलपीजी परिवहन के लिए आई.एच.बी. लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित किए जा रहें ''कांडला (गुजरात) से गोरखपुर(यूपी) पाईपलाईन परियोजना' के सम्बन्ध में पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थीं:

और उक्त राजपत्र अधिसूचनाओं की प्रतियां जनता को तारीख 24.11.2020 तक उपलब्ध करा दी गई थी।

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में अरविन्द खरे सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाईन बिछाने के लिए अपेक्षित हैं, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है:

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाईपलाईन बिछाने के उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाएः

8220 GI/2022 (1)

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आई.एच.बी. लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए आई. एच.बी. लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाईन से सम्बन्धित किसी भी मामलें पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची तहसील–कुरवाई जिला–विदिशा राज्य–मध्य प्रदेश

गांव का नाम	खसरा नं0 / ब्लॉक क्षेत्रफल			
	न0	हेक्टेयर	आर.	व.मी.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
पीकलोन	53	00	04	60
	54	00	11	13
	कुल	00	15	73

[फा सं. आर-11025(15) / 5 / 2020—ओआर-I/ई-33881] पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 2022

S.O. 5767(E).—Whereas by the notification of The Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Published in the Gazette S.O. No. 3054(E) dated 02 September 2020 under Gazette No 2717 dated 09.09.2020 Part-II, Section-3,Sub-Section (ii) issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and minerals pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (Hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land situated in Tehsil Kurwai District Vidisha in MP State, specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of LPG from Kandla to Gorakhpur by the IHB Ltd for implementing the Kandla to Gorakhpur LPG Pipeline Project.

And whereas the copies of the said Gazette notification were made available to the public on 24.11.2020.

And whereas the Arvind Khare Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, has submitted his report to Central Government.

And whereas, the Central Government after Considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of the user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user of the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vests on the date of publication of this declaration, in IHB Ltd, free from all encumbrances.

IHB Ltd shall be exclusively liable for any compensation in terms of section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to pipeline.

SCHEDULE

TEHSIL: Kurwai DISTRICT: Vidisha STATE: MP

Name of Village	Survey No./Block No.	Area		
		Hectare	Are	Sqm.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Piklon	53	00	04	60
	54	00	11	13
	Total	00	15	73

[F. No. R-11025(15)/5/2020-OR-1/E-33881]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.